न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 80/2010 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2010/00068

उनवान

अवधेश कुमार आयु करीब 35 वर्ष पुत्र श्री रघुवीर प्रसाद कौम ब्राहम्ण निवासी ग्राम ककरैठा तहसील सदर जिला आगरा।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. उपेन्द्र कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम शास्त नगर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
2. मु0 नथिया वेवा रामबाबू
3. ओमप्रकाश
4. श्रीनिवास
5. कैलाशी — पुत्र रामबाबू — जातिगण ब्राहम्ण नि0 ग्राम कोलारी तहसील सैपऊ।
6. सुरेश
7. अशोक
8. श्यामसुन्दर
9. मीरा देवी पत्नी स्व0 रज्जो
10. गोविन्दराम — पुत्र नत्थीलाल — जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम कोलारी तहसील सैपऊ।
11. रामेश्वर
12. मु0 प्रेमवती पुत्री नत्थीलाल पत्नी शान्तिस्वरूप शर्मा निवासी ग्राम कठूमरी भारा तहसील खैरागढ जिला आगरा।
13. रामवती पुत्री नत्थीलाल पत्नी सूर्यनारायण शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भारा तहसील किरावली जनपद आगरा।
14. एसबीआई बैंक शाखा तसीमो जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा तसीमो।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.07.2010 प्रकरण संख्या 23/2007 उनवान उपेन्द्र बनाम मु0 नथिया न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर।

उपस्थित :–

1. श्री योगेश शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट ।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :–02.11.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर मु0, धौलपुर के निर्णय दिनांक 29.07.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया

कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी स्थित ग्राम कौलारी तथा मन्सूरपुरा तहसील सैपऊ में वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार काश्तकार हैं एवं राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से अनुसार कब्जा काश्त हैं। विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। परन्तु अब शामलात काश्त करने में आये दिन झगडा फसाद होता रहता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का पक्षकारानों के मध्य राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सेनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, दिनांक 29.09.2008 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर, तहसीलदार सैपऊ से विभाजन प्रस्ताव तलव किये जाकर अपीलाधीन आदेश से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 में अपीलाण्ट का तर्क है कि विवादित आराजी में अपीलाण्ट 1/6 भाग का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई सूचना नहीं दी गयी है। अतः अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट परिवेदित है। अतः धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील ग्रहण की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 हाजिर अदालत नहीं आये। उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलाण्ट विवादित आराजी में 1/6 भाग का अभिलिखित खातेदार काश्तकार था परन्तु अपीलाण्ट को अधीनस्थ में रैस्पो0 संख्या 01 उपेन्द्र कुमार जो कि वादी था ने पक्षकार नहीं बनाया तथा अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट की बैक पर पारित करा लिया। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्ट अभिलिखित खातेदार काश्तकार होते हुये भी उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। अपीलाधीन प्रकरण में दिनांक 16.07.2008 को हल्का पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये थे तथा विभाजन प्रस्ताव में हल्का पटवारी द्वारा यह नोट अंकित किया गया था कि " जमाबन्दी में अवधेश कुमार पुत्र रघुवीर प्रसाद का नाम दर्ज है। अवधेश कुमार को उक्त प्रकरण में पार्टी नहीं बनाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में विभाजन प्रस्ताव से ही यह बिन्दू आ गया था कि अपीलाण्ट अवधेश कुमार को पक्षकार प्रकरण नहीं बनाया गया है तथा कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का आदेश दिया जाना था। परन्तु बाबजूद पूर्ण ज्ञान के अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने बावत् विधिक त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन प्रकरण में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा को हल्का पटारी द्वारा पक्षकारो व अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में बनाया गया है जिस पर तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर हो रहे हैं। अतः प्रस्तुत प्रकरण में नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं होना स्पष्ट तौर पर जाहिर है। अपने तर्को के समर्थन में आरआरडी 1995 पेज 702, आरआरटी 2008(2) पेज 1135, 2011–12(सप्ली.) पेज 698, 2014 पेज 258, 2010(1) पेज 173, 2010 पेज 174, 2001(2)

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
कैम्प-कौलारी

पेज 1233, 2004(2) पेज 1186 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट का प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से यह कथन रहा है कि वह विवादित आराजी में 1/6 भाग का अभिलिखित खातेदार काश्तकार था परन्तु उन्हें अधीनस्थ में रैस्पो0 संख्या 01 उपेन्द्र कुमार जो कि वादी था ने पक्षकार नहीं बनाया व उन्हें सुनवाई का मौका नहीं मिला। हम पाते हैं कि अपीलाधीन प्रकरण में दिनांक 16.07.2008 को हल्का पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये थे तथा विभाजन प्रस्ताव में हल्का पटवारी द्वारा यह नोट अंकित किया गया था कि " जमाबन्दी में अवधेश कुमार पुत्र रघुवीर प्रसाद का नाम दर्ज है। अवधेश कुमार को उक्त प्रकरण में पार्टी नहीं बनाया गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने में विधिक त्रुटि की है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1995 पेज संख्या 702 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "विभाजन एवं घोषणार्थ वाद में सभी सहअभिधारियों को चाहे अभिलिखित हों या नहीं पक्षकार बनाना होगा" इसके अतिरिक्त हमने प्रकरण में प्रस्तुत विभाजन प्रस्तावो का भी अवलोकन किया। उक्त विभाजन प्रस्तावो पर किसी भी पक्षकारान की उपस्थिती के हस्ताक्षर अंकित नहीं है एवं उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं, जिस पर तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर हो रहे हैं। अतः प्रस्तुत प्रकरण में नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं होना स्पष्ट तौर पर जाहिर है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपीलाण्ट को हस्तगत अपील से प्रकरण में आवश्यक पक्षकार जोडते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2010 अपास्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये व विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.11.2021 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 02.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02-11-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
कार्या0 भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर